

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1097

दिनांक:-2/6/09

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1093 दिनांक 2.6.09 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री शंकरलाल देवाणी	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा
2	श्री कन्हैयालाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा
3	श्री गयासुद्दीन	पी0बी0एम0 चिकित्सालय बीकानेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर
4	श्री बच्छराज ओझा	पी0बी0एम0 चिकित्सालय बीकानेर	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी रतनगढ
5	श्री जयप्रकाश जैन	संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएं जोन उदयपुर	संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएं जोन उदयपुर
6	श्री बालकृष्ण केवल्या	सेठ रामविलास भुवालका यक्ष्मा आरोग्य सदन बडी, उदयपुर	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी चित्तौडगढ
7	श्री ओमप्रकाश पुरोहित	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जालौर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जालौर
8	श्री जियाराम राव	राजकीय चिकित्सालय फलोदी जोधपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर
9	श्रीजयन्तीलाल श्रीमाली	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जालौर	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी जालौर
10	श्री सोहनाराम राठी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डीडवाना, जिला नागौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर


उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 18.6.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नोट:- जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये । सूचना के अभाव में यदि कोई कर्मचारी वर्तमान में किसी कारण वश राज्य सेवा में



नहीं हो, निलम्बित हो, लम्बे समय से अवकाश पर हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली हो या मृत्यु हो गई हो तो उनका नाम विलोपित समझा जाये ।


राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-11 /95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।


अति०निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1097
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज०
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

दिनांक:-2/6/09


अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज० जयपुर